संख्या /XIV–1/ 2007

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 20 नवम्बर 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 के सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1958 /लेखा बजट/2007–08 दिनांक 24.8.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या 249/XIV–1/2007 दिनांक 4.4.2007 के क्रम मे निम्नलिखित मदों में कुल धनराशि रू0 3505 हजार (रूपये पैत्तीस लाख पांच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते है–

अनुदान संख्या– 18

	धनराशि (हजार रूपये में)
2425–सहकारिता आयोजनेत्तर	
001–निदेशन तथा प्रशासन	
03– सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण	
04–यात्रा व्यय	1200.00
05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	500.00
07– मानदेय	100.00
08–कार्यालय व्यय	300.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	100.00
17–किराया उपशुल्क ओर कर स्वामित्व	200.00
18–प्रकाशन	50.00
19–विज्ञापन बिकी और विख्यापन व्यय	50.00
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300.00
29–अनुरक्षण व्यय	5.00
42–अन्य व्यय	50.00
44– प्रशिक्षण व्यय	100.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	200.00
46–कम्प्यूटर हार्ड वेयर /साफ्ट वेयर का क्रय	200.00
योगः–	3505.00

(रूपये पैंतीस लाख पांच हजार मात्र)

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह मे 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0 –5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्वित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

6. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर सूचित करें।

उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 अे अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03– सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण के सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या– 126 (M-P)/XVII (4)/2007 दिनांक 13.11.2007 के द्वारा प्राप्त समिति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या831/XIV–1/ 2007तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोडा उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

2011070022-Part